आखिरी जांच: 23 अक्टूबर 2026 · Home Department (Police), Government of Uttarakhand

Uttarakhand Rajya Andolankariyon ki Pension Yojana (Pension for Identified Uttarakhand State Movement Activists and their Dependants)

उत्तराखंड राज्य आंदोलन में 7 दिन जेल गए या घायल हुए चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को मासिक पेंशन देता है।

क्या मिल सकता है

राज्य आंदोलन में 7 दिन जेल गए या घायल हुए चिन्हित आंदोलनकारी, जो रोजगार नहीं पा सके, मासिक पेंशन पाते हैं। अन्य चिन्हित आंदोलनकारियों को, जिनके पास कोई और पेंशन या सरकारी नौकरी नहीं है, कम मासिक पेंशन मिलती है, और आंदोलनकारी की मृत्यु के बाद आश्रित पति या पत्नी को यही पेंशन दी जाती है।

किसके लिए है

उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी, और आंदोलनकारी की मृत्यु के बाद उनके आश्रित पति या पत्नी।

मुख्य शर्तें

- व्यक्ति चिन्हित राज्य आंदोलनकारी हो, जिसे जिलाधिकारी ने 22 अक्टूबर 2008 और 1 दिसंबर 2017 के शासनादेशों के अनुसार चिन्हित किया हो
- आंदोलन में 7 दिन जेल गए या घायल हुए और रोजगार न पा सके, तो अधिक पेंशन मिलती है
- अन्य चिन्हित आंदोलनकारी कम पेंशन तभी पाते हैं जब उन्हें कोई और पेंशन नहीं मिलती और वे सरकारी सेवा में नहीं हैं
- आंदोलनकारी की मृत्यु के बाद आश्रित पति या पत्नी उसी श्रेणी में पात्र हैं

दस्तावेज़

- चिन्हीकरण एलआईयू रिपोर्ट, डेली डायरी और एफआईआर जैसे पुलिस रिकॉर्ड तथा जिलाधिकारी द्वारा पुष्ट अस्पताल रिपोर्ट के आधार पर होता है
- आवेदन पर जिलाधिकारी कार्यालय जो दस्तावेज मांगे

आवेदन कैसे करें

1. अपने जनपद के जिलाधिकारी को लिखित आवेदन दें; कोई तय फॉर्म नहीं है।
2. जरूरी अभिलेख लगाएं। जिलाधिकारी जांच कर रिपोर्ट और संस्तुति ऊपर भेजते हैं।
3. मंत्री या मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद शासन स्तर से पेंशन स्वीकृत होती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s36547884cea64550284728eb26b0947ef/uploads/2025/04/2025040717566713.pdf#page=63
आधिकारिक PDF: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s36547884cea64550284728eb26b0947ef/uploads/2025/04/2025040717566713.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/uttarakhand/uk-state-andolankari-pension/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।